फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

: श्री कैलाश बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

मुकदमा – धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 13 / 25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शामिल फाईल रहे। तहसीलदार भीण्डर द्वारा पृथक से जवाब पेश नहीं कर रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि होकर वादीगण की पैतृक सम्पति होकर मौरूसी सम्पति है जिसके मुल पुरूष स्व. भजा पिता उंकार जी थे जिनके पुत्र श्री कालु, गोटु, धना, गोकल जी हुये। कालु जी की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमि पर उनके वारिसान बाबरिया एवं कजोड का नामान्तरण स्वीकार किया गया। खातेदार कजोड पिता कालु की मृत्यु हो चुकी है जिनमें वारिसान उनके पुत्र कैलाश, पुत्री बगदी, कान्ता एव पत्नी सोसर है। खातेदार बाबरिया की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान उनके पुत्र नाथु, पुत्री जमनी बाई व लीला बाई तथा पत्नी मोहनी बाई है। यह कि वादी के पूर्वज स्व. श्री भजा पिता उंकार जाति मेहतर के नाम राजस्व रेकर्ड के जमाबंदी संवत 2015–2018 खाता संख्या 50 कुल किता 15 रकबा 18 बिघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज थी परन्तु भजा पिता उंकार जी की मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तरण श्री भजा पिता उंकार के बजाय उनके वारिसान कालु, गोटू, धना, गोकल पिता भजा के नाम पर स्वीकार किया गया तब गलती से जमाबंदी संवत् 2019–2022 में जाति मेहतर के बजाय बलाई अंकित कर दी तब से लगातार राजस्व रेकर्ड में जाति बलाई चली आ रही है जो की गलत है जबकि पुराने रेकर्ड में जाति मेहतर अंकित थी। यह कि वादी के समस्त दस्तावेजों मे जाति मेघवाल अंकित है। जाति मेहतर एवं जाति मेघवाल एक ही जाति है। कई व्यक्ति अपने नाम के आगे जाति मेहतर का उपयोग करते है तो कई व्यक्ति जाति मेघवाल का उपयोग करते है। अतः वादीगण द्वारा वादी संख्या 1 से 4 पिता एव वादी संख्या 5 से 7 की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल किये जाने की घोषणा का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से पाया कि वर्तमान राजस्व ग्राम हमेरपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 की खाता संख्या 109 से पाया कि उक्त खाते में आराजी नं. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 321, 322, 323 कुल किता 22 कुल रकबा 3.9400 है भूमि खातेदार कजोड पुत्र कालू हिस्सा 1/8, कमला पुत्री लालू हिस्सा 1/48, गेन्दी पत्नी कना हिस्सा 1/8, जमनी बाई पुत्री बाबरिया हिस्सा 1/32, देवेन्द्र पुत्र लोगर हिस्सा 1/32, धन्ना पुत्र गोकल हिस्सा 1/8 रहन एसबीआई मेनार, नरेश पुत्र सवा हिस्सा 1/48, नाथू पुत्र बाबरिया हिस्सा 1/32, प्रवीण पुत्र लोगर हिस्सा 1/32, मागी उर्फ सुमित्रा पुत्री लोगर हिस्सा 1/32, मोती पत्नी मोटा हिस्सा 1/16, मोहनलाल पुत्र कना हिस्सा 1/8, मोहनी बाई पत्नी बाबरिया 1/32, रामा पुत्र लालू हिस्सा 1/48, लक्ष्मी बाई पत्नी लोगर हिस्सा 1/32, लाली बाई पत्नी सवा हिस्सा 1/48, लीला बाई पुत्री बाबरिया हिस्सा 1/48, शंकर पुत्र गोटा हिस्सा 1/16, सुन्दर बाई पत्नी लालू हिस्सा 1/48, सुरेश कुमार पुत्र सवा हिस्सा 1/48 सर्व जाति बलाई सा. देह दर्ज रेकर्ड है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि उक्त भूमि पैतृक होकर मौरूसी है। साथ ही बताया कि राजस्व ग्राम हमेरपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2015–[illegible] खाता संख्या 50 के आराजी सं. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1[illegible], 181, 182, [illegible] 1[illegible], 193, 194 कुल किता 15 कुल रकबा 18–05 बिघा खातेदार भ[illegible] पिता उंकार मेह[illegible] सा. देह के नाम दर्ज रेकर्ड थी। खातेदार भजा की मृत्यु हो जाने [illegible] वारिस काल[illegible] धना, गोकल पिता भजा के नाम दर्ज हुई। नवीन जमा[illegible] संवत् 2019 से 2022 के दौरान खातेदारान की जाति मेहतर के बजाय बलाई दर्ज हो गई है जो कि वर्तमान जमाबन्दी सं. 2078–81 तक बलाई ही चली आ रही आ रही है। तहसीलदार भीण्डर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:26:45 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा बताया कि वादीगण के अन्य दस्तावेजों में वादीगण की जाति मेघवाल दर्ज है। वादीगण राजस्व रेकर्ड में भी मेघवाल दर्ज कराना चाहते है। वादीगण कैलाश ... कान्ता के पिता सोसर के पति कजोड़ मेघवाल की मृत्यु हो चुकी है एवं नाथु ... बाई, लीला बाई की माता मोहनी बाई पत्नी बाबरिया की मृत्यु हो चुकी है ... निस्तारण के बाद आवेदन करने पर नामान्तरण की कार्यवाही की जावेगी। वादीगण ... जाति जमाबन्दी एव अन्य दस्तावेजो मे भिन्नता होने से सरकारी योजनाओं एवं ... आदि मे समस्या होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि मेहतर एवं मेघ... एक ही जाति है उक्त के संबंध मे वादीगण द्वारा एक नामान्तरण की प्रतिलिपि पेश ... गई है जिसमे अभियान के दौरान खातेदार की जाति मेहतर के बजाय मेघवाल दर्ज ... गई है। यह कि वादीगण सं. 1 से 4 के पिता कजोड़ मेघवाल की मृत्यु हो चुकी ... इनकी जाति जमाबंदी मे बलाई एवं अन्य दस्तावेजो मे मेघवाल होने से नामान्तरण ... शुद्ध होने पर दर्ज कर दिया जायेगा। तहसीलदार भीण्डर द्वारा वादीगण की जाति ब... के बजाय मेघवाल किया जाना प्रस्तावित किया।

प्रकरण मे हमने पाया कि वादी द्वारा कथन कहा कि जमाबंदी संवत 2015-20... की खाता संख्या 50 में खातेदार भजा पिता उंकार की जाति मेहतर अंकित थी तथा भ... पिता उंकार की मृत्यु के बाद विरासत के नामान्तरण के समय जमाबंदी संवत 2019 ... 2022 में वारिसान की जाति मेहतर के बजाय जाति बलाई अंकित कर दी। उक्त कथ... के संबंध मे तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्रा... हमेरपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2015–18 की खाता संख्या 50 के आराजी नं 9, 10, 1... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 182, 183, 184, 193, 194 कुल किता 15 कुल रकबा 18–05 बिघा खातेदार भजा पिता उंकार मेहतर सा. देह के नाम दर्ज रेकर्ड थी। खातेदा... भजा की मृत्यु हो जाने से उक्त भूमि विरासत से इनके वारिस कालू, गोटु, धन्ना, गोक... पिता भजा के नाम दर्ज हुई। नवीन जमाबंदी संवत 2019 से 2022 सेटेशन के दौरा... खातेदारान की जाति मेहतर के बजाय बलाई दर्ज हो गई है जिससे स्पष्ट है कि सेटेश... जमाबंदी के दौरान जाति में परिवर्तन हो गया है। वादीगण द्वारा बताया कि वादीगण ... अन्य दस्तावेजो में जाति मेघवाल अंकित है जिससे जाति बलाई के बजाय मेघवा... अंकित किये जाने का निवेदन किया परन्तु पुर्व रेकर्ड में वादीगण के पुर्वज की जाति मेहतर अंकित हैं। इस संबंध में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि जाति मेहतर एवं जाति मेघवाल एक ही जति है तथा उक्त के संबंध नामान्तरण की प्रति पेश की जिसमें प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 में खातेदार की जाति मेहतर के बजाय मेघवाल किये जाने के आदेश हुये। तहसीलदार भीण्डर द्वारा वादीगण की जाति बलाई के बजाय मेघवाल किया जाना प्रस्तावित किया।

अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा हमेरपुरा पटवार हल्का गोपाखेड़ा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 की खाता सख्या नं... 109 की आराजी नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 321, 322, 323 किता 22 रकबा 3.9400 है. भूमि में खातेदार कजोड पुत्र कालु, [illegible] नाथु पुत्र बाबरिया, लीला बाई पुत्री बाबरिया की जाति बलाई के बजाय [illegible] अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। [illegible] फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले [illegible] सुनाया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:26:45 IST
Reason: SelfAttested